माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(Setup by Act.No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in

छात्रावास के नियम एवं प्रावधान

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रावास के निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है–

1. रैगिंग सख्त वर्जित है, किसी भी रूप में रैगिंग अर्थात अप्रिय शोर करना, उच्छृंखल आचरण करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या होने की संभावना होती है या नए विद्यार्थी के लिए शंका या शर्म या शर्मिंदगी पैदा होती है चाहे शब्दों से, मौखिक या लिखित या किसी ऐसे कार्य द्वारा जिसमें चिढ़ाना, गाली देना, ऐसे विद्यार्थियों पर व्यावहारिक चुटकुले खेलना या उन्हें चोट पहुँचाना शामिल है या नए विद्यार्थी को कोई कार्य करने के लिए कहना या ऐसी चीजें करना है जो सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसा विद्यार्थी स्वेच्छा से नहीं करेगा, ऐसा कार्य निषेध होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग में शामिल या उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय से दंडित/निष्कासित/निलंबित किया जाएगा और रिट याचिका संख्या 656/1998 (सी) पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा। रैगिंग एक अपराध है। कोई भी कानून से अनभिज्ञ होने का नाटक नहीं कर सकता। रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 के तहत रैगिंग करने वालों को दंडित किया जा सकता है। रैगिंग के लिए छह महीने से 10 साल तक की जेल और रुपये 50,000/– तक का जुर्माना है।

2. किसी भी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करना या अपने पास रखना जैसे धूम्रपान आदि। दण्डनीय अपराध है। ऐसा पाये जाने पर उसे हास्टल के साथ साथ विश्वविद्यालय से भी निष्कासित किया जाएगा।

3. आगंतुकों/माता–पिता को कार्य दिवसों पर सुबह 8.00 बजे से 11.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात 8.00 बजे के बीच और छुट्टी के दिन सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच केवल आगंतुक लॉबी में विद्यार्थी से मिलने की अनुमति होगी। कोई भी विद्यार्थी अपने माता–पिता सहित किसी भी आगंतुक को कमरे में नहीं ले जाएगा। माता–पिता को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहयोग करने का वचन देना होगा और बुलाये जाने पर उपस्थित होना होगा।

4. कोई भी विद्यार्थी रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक छात्रावास से अनुपस्थित नहीं रहेगा, जब तक कि उसने छात्रावास वार्डन से नाइट आउट पास प्राप्त नहीं कर लिया हो। विद्यार्थियों

को रात्रि विश्राम की अनुमति सप्ताह के अंत में तभी दी जाएगी जब माता–पिता और विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति हो।

5. सभी विद्यार्थी निर्धारित समय (रात 8.00 बजे) के अनुसार रोल कॉल के लिए रिपोर्ट करेंगे।

6. विद्यार्थियों को रात 8.00 बजे के बाद छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं है।

7. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास खाली करना चाहता है तो कम से कम एक महीने का नोटिस आवश्यक है। यदि विद्यार्थी बिना सूचना के छात्रावास छोड़ता है तो उसे उसकी जमा राशि वापस नहीं मिलेगी।

8. छात्रावास शुल्क में देरी के मामले में निर्धारित मापदंड 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा।

9. छात्रावास स्टाफ की सेवा का उपयोग निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि/सामान नहीं दिया जाए।

10. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से जुड़ी मैस में भोजन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को भोजन कक्ष में ही भोजन करना है। हॉस्टल वार्डन की पूर्व अनुमति से बीमार बताए गए लोगों को छोड़कर किसी को भी हॉस्टल कमरे में भोजन करने की अनुमति नहीं है। कमरों में चाय/कॉफी/नूडल्स बनाने सहित अंदर खाना पकाने की सख्त मनाही है।

11. सुबह का नाश्ता प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे के बीच होगा दोपहर का भोजन स्नातक विद्यार्थियों के लिए 1.30 से 2.00 एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 2.00 से 2.30 तक होगा। रात्रि 8.00 बजे से 8.45 तक स्नातक के विद्यार्थी भोजन करेंगे एवं 8.45 से 9.30 तक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी भोजन करेंगे। भोजन के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

12. छात्रावास के कमरे फर्नीचर और उपकरणों की फिटिंग से सुसज्जित हैं। कमरे में रहने वाला विद्यार्थी वस्तु सूची रजिस्टर में वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर करेगा। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर कमरों को छोड़ते समय वह छात्रावास प्राधिकारियों को उनकी मूल सेवा योग्य स्थिति में वस्तुओं को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगा।

13. भोजन कक्ष के फर्नीचर, कमरे के फर्नीचर या छात्रावास के किसी भी फर्नीचर/संपत्ति या फिटिंग को खराब करना सख्त वर्जित है। यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, तो उससे/समूह से क्षतिग्रस्त संपत्ति की लागत का दोगुना मूल्य वसूल किया जाएगा। छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बार–बार की गई हरकतों के परिणामस्वरूप छात्रावास से निष्कासन किया जाएगा।

14. विद्यार्थियों को रात 8.00 बजे के बाद खाद्य सामग्री की डिलीवरी स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

15. अपने सामान की सुरक्षा के लिए विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरों में बड़ी मात्रा में नकदी या कीमती सामान जैसे सोने की अंगूठी, महंगी कलाई घड़ी आदि न रखें। उन्हें अपने पर्स, कैलकुलेटर, सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और किताबों की भी सुरक्षा स्वयं करें। किसी वस्तु के चोरी होने या खो जाने की स्थिति में छात्रावास के अधिकारी/विश्वविद्यालय ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

16. कंप्यूटर, टेबल–लैंप, प्रेस और मोबाइल–चार्जर को छोड़कर किसी भी बिजली के उपकरण का उपयोग वर्जित है। यदि विद्यार्थी आयरन या इलेक्ट्रिक केटल का उपयोग करना चाहते हैं तो वार्डन से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में विद्यार्थी को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

17. कमरे में कोई न हो तो लाइट और पंखे अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। ऐसा न पाए जाने पर विद्यार्थी के खिलाफ पहली बार चेतावनी दी जाएगी और अगर इसे दोबारा दोहराया गया तो विद्यार्थियों पर जुर्माना के साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

18. प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया के किसी भी सदस्य को छात्रावास के संबंध में कोई जानकारी या साक्षात्कार देने से पहले या छात्रावास के संबंध में किसी भी जानकारी से युक्त कोई भी भाषण देने से पहले विद्यार्थियों को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

19. विश्वविद्यालय/छात्रावास के वार्डन समय–समय पर औचक निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे निष्कासन या अर्थदंड) की जाएगी।

20. विद्यार्थी को वार्डन के कार्यालय में रखे उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन सायंकाल 7.00 बजे रात्रि 8.00 बजे तक के बीच हस्ताक्षर करना चाहिए।

21. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास प्रशासन को लिखित सूचना दिये बिना 1 दिन भी छात्रावास से बाहर रहता है तो उस विद्यार्थी का छात्रावास से निष्कासन किया जाएगा।

22. किसी भी विद्यार्थी को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एक कमरे से दूसरे कमरे/कमरा बदलने की अनुमति नहीं होगी और न किसी फर्नीचर को एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानांतरित किया जाएगा।

23. विद्यार्थियों को कक्षा कक्षाओं के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। जब तक कि बीमारी या किसी अन्य उचित कारण से रहने की स्थिति अपरिहार्य न हो। ऐसे मामलों में उन्हें लिखित रूप में वार्डन को अनुमति लेनी होगी।

24. छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को कमरे के बाहर/हास्टल/कारिडोर में पहनावे में मर्यादा रखनी होगी।

25. विद्यार्थी अपने कमरे, बरामदे और आस–पास के क्षेत्रों को हर समय साफ– सफाई से रखेंगे। कचरा कूड़ेदान के अलावा और कहीं न हो। हास्टल में यहां वहां थूकना मना है।

26. छात्रावास में शांति बनाए रखना होगा। कमरे के बाहर संगीत/लाउड टॉकिंग सुनाई न दे। किसी भी तरह के उत्सव और शोर–शराबे/उत्सव को मनोरंजन नहीं किया जाएगा, जिससे छात्रावास परिसर में अन्य विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है।

27. किसी भी प्रकार का कार्यक्रम समारोह जैसे कि त्यौहार, जन्मदिन मनाने के लिए वार्डन की पूर्व लिखित स्वीकृति आवश्यक होगी। समारोह रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच एक से दो घंटे के लिए एक सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जाएगा। किसी बाहरी अतिथि को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

28. विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो हास्टल में नहीं रहते उनका हास्टल में आने की एवं रात में रूकने की अनुमति नहीं होगी।

29. गीले कपड़े को फर्नीचर में नहीं सुखाना होगा। बालकनियों में दी गई जगह पर ही सुखाने की अनुमति होगी। अन्य जगह पर सूखते हुए कपड़े पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

30. विद्यार्थी परिसर में मछली, बिल्ली, कुत्ते आदि सहित कोई भी पालतू जानवर नहीं लाएंगे या रखेंगे।

31. विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक या सांप्रदायिक गतिविधि जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक हो या विश्वविद्यालय के खिलाफ हो, में शामिल नहीं होंगे। विद्यार्थी राजनीतिक या सांप्रदायिक मामलों सहित किसी भी चीज या किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रचार–प्रसार नहीं करेंगे।

32. छात्रावास में शैक्षणिक सत्र या परीक्षा समाप्त होने के बाद, पुनः आवंटन के लिए छात्रावास को खाली करना अनिवार्य होगा। जिसमें कमरे का एवं छात्रावास के रखरखाव करना होगा।

33. विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

34. माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।